

फ़ाइल संख्या: डीडी(आईटी)/ईआरपी/2025-26

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  
केंद्रीय संचार ब्यूरो  
(आईटी एवं आधुनिकीकरण अनुभाग)

सूचना भवन  
नई दिल्ली-I 0003  
दिनांक: 06.11.25

परामर्शिका

सभी सूचीबद्ध विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे सीबीसी के <https://cbcindia.gov.in/cbc/vendor-login> पोर्टल के विक्रेता लॉगिन पृष्ठ पर उपलब्ध अपने बैंक खाते के विवरण की सत्यता सत्यापित करें। यदि कोई विक्रेता मौजूदा बैंक खाते के विवरण को अपडेट या बदलना चाहता है, तो वह पोर्टल के विक्रेता लॉगिन पृष्ठ के माध्यम से निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज़ जमा करके ऐसा कर सकता है:

**1. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लेटरहेड पर परिवर्तन हेतु अनुरोध**

(पुराने और नए बैंक विवरण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो।)

**2. बैंक अधिदेश**

(संबंधित बैंक द्वारा जारी और सत्यापित।)

**3. रद्द किया गया चेक**

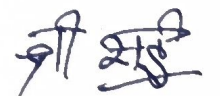
(अपडेट किए जाने वाले नए बैंक खाते का।)

2. कृपया सुनिश्चित करें उपरोक्त दस्तावेज़ स्पष्ट और सुपाठ्य प्रारूप में अपलोड किए गए हों ताकि प्रसंस्करण में देरी से बचा जा सके।

3. किसी भी तकनीकी सहायता या स्पष्टीकरण के लिए, विक्रेता निम्नलिखित माध्यमों से सीबीसी आईटी एवं आधुनिकीकरण(IT & Modernisation) अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं:

- ईमेल: [support.cbc@becil.com](mailto:support.cbc@becil.com)

- आईवीआरएस हेल्पलाइन: 9810205148, 9289772910, 9289772911 (सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक, सोमवार-शुक्रवार)



(श्री साई वेम्पटि)  
उप निदेशक (आईटी)

प्रति,

वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, बेसिल (BECIL) को विक्रेता लॉगिन पृष्ठ पर डिस्प्ले करने हेतु।